



S. K. B. S.

**Government of India
National Commission for Scheduled Tribes**

**6th floor, 'B' Wing,
Loknaya Bhawan
Khan market,
New Delhi-110 003.**

No. Development-01/Development/2006/RU-III

Dated: 18.05.2011

To,

Shri Ashokvardhan,
Principal Secretary,
Bihar Govt.,
Deptt. of Revenue & Land Reform
Patna (Bihar).

Sub: Representation from Shri Sambunath, S/o late Shri Bhagirati Prasad, Siwan regarding land matter.

Sir,

I am directed to refer to this Commission's letter of even number dated 22.03.2011 on the above subject and to forward herewith a copy of the proceedings of the hearing held in this Commission on 18.04.2011 for necessary action..

2. It is requested that action taken report with reference to the above proceedings may please be sent to this Commission within 30 days positively.

Yours faithfully,

K.D. Bhansor
**(Mrs. K.D. Bhansor)
Deputy Director**

Copy to:

(1) The District Collector, Siwan, Bihar

(2) Shri Sambunath, S/o late Shri Bhagirati Prasad, Gram+Post Andher, Siwan (Dist.), Bihar.

(3) SSA, NIC.

K.D. Bhansor
**(Mrs. K.D. Bhansor)
Deputy Director**

मिसिल सं० बिहार -01/विकास/2006-आर.यू. III

श्री शम्भू नाथ पुत्र स्व० श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला- सीवान (बिहार) की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने संबंधी प्राप्त शिकायत के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में हुई बैठक दिनांक 18-04-2011 के कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित :-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- (1) श्री मोरिश कुजूर, उपाध्यक्ष
- (2) श्री के.सी. बेहरा, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
- (3) श्रीमती के.डी. बंसौर, उप निदेशक
- (4) श्री एन. के. मारन, अनुसंधान अधिकारी

राज्य शासन बिहार


- (1) श्री सी. अशोक वर्धन, आई.ए.एस. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार सरकार
- (2) श्री अरविंद कुमार तिवारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) जिला सीवान, बिहार

आवेदक

- (1) श्री शम्भू नाथ स्व० श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना-आन्दर, जिला-सीवान (बिहार)

पृष्ठभूमि

श्री शम्भू नाथ ने दिनांक 15-12-2006 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में उपरोक्त शिकायत पत्र भेजा। आयोग ने पत्र दिनांक 21-12-2006 द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीवान, बिहार से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले में कलेक्टर को अनुस्मरण पत्र दिनांक 21-02-2007, 20-03-2007 एवं 16-05-2007 भेजे गए। समाहर्ता, सीवान ने पत्र क्रमांक 1097/रा० दिनांक 28-06-2007 द्वारा अंचल अधिकारी, आन्दर से प्राप्त रिपोर्ट भेजी। उक्त प्राप्त रिपोर्ट को आवेदक श्री शम्भू नाथ को समसंख्यक पत्र दिनांक 16-08-2007 को सूचनार्थ भेजा गया।



मोरीस कुजूर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/GoI of India
नई दिल्ली/NEW DELHI

श्री शम्भू नाथ ने उक्त रिपोर्ट पर खण्डन पत्र दिनांक 26-12-2007 आयोग को भेजा। तदोपरान्त मामले में हुए पत्राचार की प्रतिलिपियाँ व प्राप्त उत्तर से प्रार्थी को समय-समय पर सूचित किया गया। समाहर्ता, सीवान द्वारा उनके पत्र दिनांक 28-06-2008 के द्वारा आयोग को अंचल अधिकारी, आन्दर जिला सीवान एवं दिनांक 23-02-2011 को रिपोर्ट पर प्रार्थी के द्वारा भेजे गए खण्डन पत्रों पर जानकारी भेजी है – जिसमें सूचित किया कि प्रश्नगत खाता नं० 282 सर्वे नं. 1580 रकवा 0-8-1 धुर भूमि राजस्व खतियान में डीह वासगीत खाता के अन्तर्गत परती कदीम करके दर्ज है जिसके 9 कब्जे कालम में जामून 1 कब्जे राम चन्द्र पाण्डेय 9 सरह व न० 24 एक हिस्सा व राम प्रसाद पाण्डेय को० वसरल नं० 26 एक हिस्सा भावली को वास कोढ कब्जे राम चन्द्र पाण्डेय रैयत मजकुर भावली वे पाकड (एफ)1 कब्जे मथुरा लाल वगै० वसरह नं० 1576 व बच्चू लाल कौ० वसरल नं० 1515 व मुस्कान परमेशरा कुपैर कौ० वसरत नं० 1577 च करके दर्ज है।

पंजी II में जानकारी दी कि आवेदक शम्भू नाथ के दादा स्व० रामउग्रह गोंड के नाम से जमाबंदी सं० 336 खाता सं० 282 रकवा 0-2-13 करके दर्ज था, जिस पर बिना किसी आदेश के रकवा 0-2-13 धुर को काट कर रकवा 0-3-0 (तीन कट्टा) बनाया गया है जिसकी सरकारी रसीद वर्ष 1961-62 में दिनांक 25-02-62 की रसीद सं० 846648 लगान 0-25 पैसा निर्गत किया गया है। वर्ष 1961-62 के बाद अन्य दूसरा रसीद निर्गत नहीं किया गया है। पंजी II के अवलोकन से यह विदित होता है कि खाता सं० 282 सर्वे नं० 1580 रकवा 0-5-8 धुर लगान 0-25 पैसा जंगनारायण दूबे के नाम से जमाबंदी सं० 337 पूर्व से चलती थी, जिसमें से रकवा 0-2-0 भूमि का दाखिल खारीज विजय बहादुर साह, अक्षयवर साह व प्रदीप साह गोंड के नाम हुआ है जिसका जमाबंदी सं० 659 पंजी II में दर्ज है तथा उसी खाता सं० में रकवा 0-2-19-15 भूमि का दा० खा० वाद सं० 797/89-90 एवं 28/90 के द्वारा श्री रामाशंकर सिंह सा० जौरा के नाम से किया गया है जिसका जमाबंदी सं० 933 पंजी II में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि रकवा 0-2-19-15 में से रामाशंकर सिंह के पुत्रों ने घरमेन्द्र यादव उर्फ दुनदुन यादव पिता श्री शिव लगन यादव, ग्राम जमालपुर, थाना आन्दर के नाम से बैनामा कर दिया है और इसी भूमि पर दुनदुन यादव द्वारा गुमटी रखा गया है।

पंजी II में यह भी सूचित किया कि प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा 0-8-1 धुर की जमाबंदी पूर्व से ही कायम थी। आवेदक के भाई नन्द कुमार साह का कथन है कि जमाबंदी सं० 339 रकवा 0-3-0 एवं जमाबंदी सं० 94 रकवा 0-3-4 धुर खाता सं० 282 जो रामउग्रह गोंड के नाम पर है, का रसीद निर्गत करने का दबाव किया जा रहा है किन्तु जाँच से स्पष्ट होता है जमाबंदी सं० 339 एवं जमाबंदी 94 रामउग्रह गोंड के नाम पर पंजी II में दर्ज नहीं है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा उपरोक्त जमाबंदियों का रसीद आवेदक को निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक के दादा रामउग्रह गोंड के नाम पर जमाबंदी सं० 336 रकवा 0-3-0 भूमि


मोरीस कुजुर
Maurice Kujur
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुरोधित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार Govt. of India

पंजी II में दर्ज है जिसमें से आवेदक के चचेरे भाई (हिस्सेदार) द्वारा 0-1-0 भूमि चन्द्रिका तुरहा कौ० को विक्री किया गया है जिसपर उनका पक्का मकान बना हुआ है।

अंचल अधिकारी, आन्दर, सीवान ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भूमि रकवा 0-3-0 कट्टा ही रामउग्रह गोंड के परिवारों के बीच बटा हुआ है शेष भूमि 0-5-1 धुर भूमि पर आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का दखल कब्जा कभी नहीं रहा है और न है। भूमि पर वैदारों का दखल कब्जा है।

1. पत्र सं० 23/2/2011 के अन्तर्गत खण्डन पत्रों पर अंचल अधिकारी, आन्दर, जिला सीवान ने जानकारी दी कि वर्ष 1957 की पंजी-II का अवलोकन किया गया, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसका पारगमन संभव नहीं है।
2. जमाबन्दी पंजी-II में विवादित भूमि से संबंधित जमाबन्दी सं०-336 खाता सं० -282 रकबा-3 कट्टा जमाबन्दी रामउग्रह गोंड के नाम से है तथा इस पर निर्गत लगान रसीद सं० 380930 दिनांक 30-03-1957, रसीद सं० 470792 दिनांक 04-03-1958 एवं रसीद सं० 358770 दिनांक 31-03-1960 अंकित है।
3. वर्ष 1957, 1980 एवं 1961 के रसीद बही के संबंध में सूचित किया है कि कथित वर्ष का निर्गत रसीद बही की कार्यालय प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। रसीद सं० 425710 दिनांक 12-10-2007 (आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित रसीद सं० 4257710 दिनांक 12-10-2006 गलत है) एवं निर्गत लगान रसीद सं० 029403 दिनांक 29-07-2008 है।
4. श्री जगनारायण दूबे से संबंधित जमाबन्दी सं० 337 (आवेदन में अंकित जमाबन्दी सं० 377 गलत है) श्री विजय बहादुर साह वगैरह के नामधारित जमाबन्दी सं० 659 एवं श्री रामाशंकर सिंह वगैरह के नामधारित जमाबन्दी सं० 933 है। श्री रामशंकर सिंह के पुत्रों द्वारा श्री धर्मन्द् यादव पुत्र श्री शिवलगन यादव के नाम बैनामा किये गये।

राज्य शासन द्वारा भेजी गयी जानकारी एवं टिप्पण से प्रार्थी संतुष्ट न होते हुए असहमति प्रकट करते रहे। आयोग ने श्री शम्भू नाथ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राज्य शासन द्वारा सूचित अभिलेखों विवरणों को जांचने के उपरान्त श्री सी. अशोक वर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीवान को दिनांक 18-04-2011 को प्रकरण के संबंध में मूल दस्तावेजों के सहित श्री मोरीस कुजूर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष बुलाने का निर्णय लिया गया।


मोरीस कुजूर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

चर्चा

श्री मोरीस कुजूर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 18-04-2011 को श्री सी. अशोक वर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार उपस्थित होकर आयोग को जानकारी दी कि खाता सं० 282 सर्वे सं० 1580 शुरू से ही डिहवसकित था जो सरकारी जमीन होती है तथा नवाब एक सादे कागज पर हुकुमनामा/पट्टा देते थे तथा आजादी के उपरान्त उसी जमीन को उन्ही कागजातों के आधार पर रजि० पट्टा जमीन पर दे दी जाती थी।


पंजी II के अनुसार आन्दर और खाता सं० 282 सर्वे सं. 1580 से संबंधित जमाबंदी संख्या 336 आवेदक के पूर्वज दादा रामउग्रह गोंड के नाम से दर्ज है जिसमें रकबा 3 कट्टा दर्ज थी

उक्त जमाबंदी रैयती के 3 लड़कों में से स्व० छबीला गोंड के लड़के केदार गोंड ने अपने हिस्से की 1 (एक) कट्टा जमीन चंद्रिकातुरहा के साथ बिक्री कर दी। जमाबंदी 336 से रकबा 1 कट्टा घटाकर नई जमाबंदी सं. 1660 कायम की गयी। इसके अतिरिक्त केदार गोंड ने अपने हिस्से से अधिक 1 (एक) कट्ट 2 धूर जमीन श्रीमती शीला देवी जौजे को बिक्री कर दी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के चचेरे भाई केदार गोंड ने हिस्से से अधिक जमीन दूसरे को विक्रय कर दी जिसे रद्द करवाने हेतु आवेदक को सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए।

पंजी II जमाबंदी संख्या 339 खाता सं. 169 रकबा 13 (तेरह) कट्ट 9 (नौ) धूर से संबंधित है का जमाबंदी रैयत हरिहर मल्लाह के नाम दर्ज है। इस प्रकार आवेदक का दावा आधारहीन है तथा आवेदक सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

जयनारायण दुबे की जमीन उनके लड़के ने 1989 में बेच दिया। 1950 में बिहार रेंट रिफॉर्म एक्ट बना। 1912-14 सादा हुकुमनाम चलन में रहा। संदेह का लाभ सादा हुकुमनाम के आधार पर मिला। 1956 में जमाबंदी शुरू हो गयी।

प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया कि राजस्व रिकार्ड में जमीन जमाबंदी सं० 336 रकबा 3 कट्टा ही दर्ज है बाकी जमाबंदी 339 और 94 का कोई ब्यौरा नहीं है यह दूसरे खाते की जमीन है। आवेदक पक्ष के नाम जमाबंदी सं० 336 रकबा 3 कट्टा का ही उल्लेख है। प्रधान सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदक पक्ष 6 कट्टा 4 धूर पर काबिज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि रिकॉर्ड को देखा जाएगा।



मोरीस कुजूर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
आर.डी. रोड, राँची, बिहार

श्री शम्भूनाथ ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि 5 जुलाई, 2006 की जमीन जमाबंदी सं० 339 व 94 को हड़पने की शिकायत सर्किल ऑफिसर तथा अन्य अधिकारियों से करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राथी ने कहा कि खाता संख्या 282 सर्वे 1580 रकवा 8 कट्ठा 1 धूर पर नवाबों ने 1912 से पहले आवेदक पक्ष के परदादा स्व० श्री दमरी गोंड को बसने के लिए दिया इसलिए आवेदक पक्ष के दादा ने उस पर मिट्टी तथा पोसा का कच्चा मकान बनाया और रहने लगे। उन्होंने 1911 तथा 1912 में चौकीदारी टैक्स भी दिया चूंकि नवाबों ने मौखिक रूप से बसने को कहा था इसलिए आवेदक पक्ष के दादा स्व० श्री राम उग्रह गोंड ने नवाबों से बिनती करते हुए रूपए 100 नजराना देकर 8 कट्ठा 1 धूर जमीन में से 5 मई, 1926 को 6 कट्ठा 4 धूर का एक पट्टा/हुकुनामा बनवा लिया और स्थायी रूप से उस जमीन पर रहने लगे।

सन् 1945 के आस-पास नवाबों ने अपनी जमीनदारी का आधा हिस्सा बाबू हरिहर प्रसाद, भागीरथी प्रसाद को बेच दिया इसलिए 6 कट्ठा 4 धूर में 3 कट्ठा 4 धूर पर उन लोगों ने अपना मलिकाना हक जताया और आवेदक पक्ष के दादा से लगान लेने लगे तो आवेदक पक्ष के दादा ने उनसे प्रार्थना करते हुए 100 रूपए देकर उनके कर्मचारी स्व० श्री नगेशराम से दिनांक 24-08-1948 में दरौली तहसील जाकर बैनामा करा लिया था। आवेदक पक्ष के पास 1957 से लेकर 1961 तक की लगान रसीदें हैं जो जमाबंदी संख्या 336, 339 और 94 के क्रम में लगान भरने के संबंध में हैं। प्राथी ने कहा कि आवेदक पक्ष ने आयोग के माध्यम से गांग की कि 1957 से लेकर 1961 तक की रसीद बुक पंजी-II तथा उनकी जमीन से संबंधित जो भी कागजात प्रस्तुत किए। आवेदक पक्ष का कहना है कि 6 कट्ठा 4 धूर पर वे 5 मई, 1926 से काबीज हैं और इसी आधार पर आवेदक पक्ष के पट्टेदारों के बीच बटवारा हुआ है और केदार गोंड ने अपने हिस्से की जमीन 2 कट्ठा बेच दी है और राजेन्द्र गोंड 2 कट्ठा पर काबीज है तथा शेष 2 कट्ठा पर आवेदक पक्ष की जमीन परती पड़ी है।


निष्कर्ष

माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार को सलाह दी कि चूंकि यह भूमि संबंधित मामला है तथा मामला काफी पुराना है तथा इस बीच आवेदक पक्ष के परिवार में व अन्य पक्ष के परिवारों में पीढ़ियों का अन्तर हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक पक्ष द्वारा उनकी भूमि के संबंध में की गयी शिकायत की गहराई से परतदरपरत जांच किया जाना चाहिए तथा यह कार्य राज्य शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए तथा जो तथ्य सामने आएँ उन पर नियमानुसार त्वरित यथोचित कार्रवाई किया जाना चाहिए ताकि आवेदक पक्ष को यदि उसके साथ अन्याय हुआ है त्वरित न्याय मिल सके। विशेषतया जब प्राथी पक्ष की जमाबंदी 339 की लगान (रसीदें)

मोरीस कुजुर

मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Ministry of Tribal Affairs
नई दिल्ली/India

भरता आ रहा है । इन परिस्थितियों में जमाबंदी 339 हरिहर मल्लाह के नाम रिकार्ड में किस प्रकार दर्ज है, इनकी जाँच बारीकी से की जानी अनिवार्य है । यह भी पता लगाया जाए कि अंचल अधिकारी किस प्रकार दस्तावेजों के रखरखाव में कहाँ तक सतर्कता बरतते हैं एवं अभिलेखों के रखरखाव में हस्ताक्षर व लिखावट की भी जाँच रिपोर्ट संबंधित प्रकरण में भेजे तथा प्रधान सचिव उक्त मामले को पूरे राजस्व रिकोर्ड एवं नियमानुसार विश्लेषण कर पूरी जानकारी दस्तावेजों सहित आयोग को जून माह तक भिजवाएगे ताकि मामले में आयोग अग्रिम कार्यवाही करेगा।



मोरीस कुजुर/MAURICE KUJUR
उपाध्यक्ष/Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi